

29.8.19

पत्रावली पेश हुई। वकील अभी हाजिर नहीं। मूल
काद में कार्यवाही अदमपेची/हाजरीमें खादिज
की जा चुकी है। अतः प्रकरण चलाने का अंशिय
वृत्ति नहीं होता है। प्रकरण में कार्यवाही खादिज
की जाती है। जिसल फैसल शुमार होकर नगर से
काम की जाकर वाचिल दफ्तर हो।

